न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 116 / 2025

जीसीएमएस सं. 2025 / 314

अपीलांटः–

सोनी पुत्री लिछमण पत्नी रूपाराम जाति भील निवासी भील बस्ती, बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. शंकरलाल पुत्र रामाराम
2. फुलाराम पुत्र रामाराम
3. समदा पत्नी रामाराम
   जातियान भील निवासीगण भील बस्ती, बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
4. शांति पुत्री रामाराम पत्नी सोहनलाल जाति भील निवासी मैन जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर।
5. धुडाराम पुत्र बींजाराज
6. दौलाराम पुत्र बींजाराज
7. महेन्द्र पुत्र बींजाराज
8. मांगीदेवी पत्नी बींजाराम
   जातियान भील निवासी भील बस्ती, बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
9. गीता पुत्री बींजाराम पत्नी श्री लूणाराम जाति भील निवासी गांव पीपरली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. नेनी पुत्री बींजाराम पत्नी श्री प्रकाश जाति भील निवासी भीलो का नोहरा के पास, बाबा रामदेव मंदिर फाटक, मसूरिया, जोधपुर।
11. लीछू पुत्री बींजाराम पत्नी सुखाराम जाति भील निवासी खटावास, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
12. तहसीलदार, झंवर, जिला जोधपुर।
13. नगर विकास न्यास, जोधपुर (जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 264, जो उप तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 14.06.1989 को पारित किया गया, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थितिः–

01. अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई (अपीलांट की ओर से)

02. प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 11 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 24.03.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर, जिला जोधपुर के नामांतरकरण संख्या 264 पर उप तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.1989 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय अति. जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) में दिनांक 21.03.2024 को प्रस्तुत की गई, जहां से स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी गण को नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी किए गए। तहसीलदार झंवर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी गण पर नोटिस तामिल होने के सबूत स्वरूप पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश की गई है, जिन्हें पर्याप्त तामिल माना जाता है। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी गण अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश पारित किए जाते है।
3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सरवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरानाडा के खेत खसरा नंबर 314 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा नंबर 315 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा भूमि में अपीलांट्स के पिता लिछमणराम पुत्र नवलाराम का आधा हिस्सा था तथा शेष आधा हिस्सा भैराराम पुत्र बागाराम का था अपीलांट्स के पिता लिछमणराम का देहांत होने पर आक्षेपित नामांतरकरण संख्या 264 से सिर्फ लिछमणराम के पुत्रों के नाम ही आराजी दर्ज की गई है, जिसके आधार पर इन्होंने भूमि प्रत्यर्थी संख्या 12 को बेचान कर दी है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 03.03.2024 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने पर हुई। अपीलांट्स स्वर्गीय लिछमणराम की जायंदा पुत्री हैं तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार, आराजी में उनका जन्म से ही अधिकार तय हो गया था परंतु लिछमणराम के सभी वारिशान की सही जांच किए बिना यह सिर्फ पुत्रों के नाम ही

अपर जिला कलक्टर (ग्रामीण)
जोधपुर

आराजी का नामांतरकरण दर्ज किया गया है जो नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा आक्षेपित आदेश एकतरफा पारित किया है। अतः जानकारी की तारीख से अपील अंदर में मियाद मानी जाकर स्वीकार की जावे।

4. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस अपील पर दिनांक 23.03.2026 को सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि लिछमणराम के फौत होने पर आक्षेपित नामांतरकरण सिर्फ पुत्रों के नाम ही दर्ज किया है। नामांतरकरण दर्ज करते समय अपीलांट ने एतराज भी पेश किया था, जो भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी से जाहिर है, फिर भी उप तहसीलदार लूणी ने सिर्फ रामाराम, बींजाराम पुत्र लिछमण भील के नाम नामांतरकरण स्वीकार किया है। अपीलांट्स लिछमणराम की जायंदा पुत्रियां है। अतः उनका भी जन्म से ही पुश्तैनी भूमि में अधिकार है। अतः अपील को अंदर मियाद माना जाकर स्वीकार की जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामांतरकरण संख्या 264 ग्राम बोरानाडा दिनांक 14.06.1989 का अध्ययन कर अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया एवं विधि प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. ग्राम बोरानाडा का खसरा नंबर 314 रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नंबर 315 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा कुल 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि लिछमण पुत्र नवला, भैराराम पुत्र बागाराम कौम भील के नाम खातेदारी में दर्ज थी। नामांतरकरण संख्या 264 पटवारी हल्का द्वारा खातेदार लिछमण पुत्र नवला भील का देहांत होने पर लड़कों के नाम दर्ज करने पर दिनांक 14.06.1989 को उप तहसीलदार, लूणी द्वारा रामाराम, बींजाराम पुत्र लिछमण कौम भील के नाम स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर 34 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु अपीलांट्स ने मियाद एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अंकित कारण इस न्यायालय की राय में पर्याप्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. नामांतरकरण में दर्ज इंद्राज के अनुसार तथा अपीलांट स्वयं के अभिकथनों अनुसार अपीलांट जाति से भील है तथा प्रत्यर्थी गण भी जाति से भील है तथा अपीलांट का पिता लिछमण पुत्र नवला भी जाति से भील है। Scheduled Caste and Scheduled Tribes order (Amendment) Act 1976, Notified by Govt. of India Vide No. BC/12016/34/76/STC-V (Gaz 20.09.1976) and Notified by Govt. of Rajasthan Vide No. F11(8) Res/SWD/SC/57/77/475-63-762 Dated 01.09.1975 के आइटम संख्या 1 एवं 2 में BHIL जाति को राजस्थान में Scheduled Tribes के रूप में घोषित किया गया है।

9. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) निम्न प्रकार है–

"उप धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू नहीं होगी। जब तक कि केंद्रीय सरकार की शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे अर्थात यह धारा जाहिर करती है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, जब तक कि केंद्रीय सरकार, जनजाति के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू करने हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं करे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि केंद्रीय सरकार ने जनजाति के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। अतः पक्षकार पुराने हिंदू लॉ (Shastric Hindu Law) या रूढ़िजन्य विधि (Customery Law) से शासित होते है।

10. (A) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 4363/1997 (गुलाब बनाम राजस्व मंडल) में पारित निर्णय (2006 आरबीजे 659) दिनांक 01.02.2006 के पेरा 8, 9, 10 में भी उक्त अनुसार व्यवस्था प्रतिपादित की है कि विवाहित पुत्री को पिता की पुश्तैनी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है।

(B) माननीय राजस्व मंडल ने 2007 आरआरडी 470 (श्रीमती केसांति व अन्य बनाम रामदास) में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के वर्ग पर लागू नहीं होते है। माननीय मंडल ने उक्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

व्याख्या मंडल द्वारा पारित निर्णय नंदा बनाम बिरधी (1981 आरआरडी 61), श्री बाई बनाम श्रीमती पान बाई व अन्य (2002 आरआरडी 31), हंसा बनाम रतनलाल (2002 आरआरडी 626) का अनुसरण करते हुए की है।

(C)अभी हाल में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच ने मन्नी देवी बनाम रामादेवी, एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 10638/2025 निर्णय दिनांक 22.07.2025, (2025 एससीसी ऑनलाइन राज 3772) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

i. कमल नेती बनाम एल.ए.ओ., 2023 (1) आरआरटी 137, (2023) 3 एससीसी 3–28 निर्णय दिनांक 09.12.2022

ii. तीर्थ कुमार बनाम दादूराम व अन्य निर्णय दिनांक 19.12.2024, (2025 (1) आरआरटी 278, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3810 (सी.ए. नंबर 13516/2024),

iii. रामचरण बनाम सुखराम, सी.ए. नंबर 9537/2025, निर्णय दिनांक 17.07.2025 सुप्रीम कोर्ट 2025 आईएनएससी 865 में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि Section 2(2) of Hindu Succession Act, 1956 is a 'Barrier' for Tribal Woman to lay claim over Father Property. माननीय उच्च न्यायालय ने विधि में संशोधन करने की राय सरकार को दी है।

iv. अहमदाबाद वूमेन एक्शन ग्रुप व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, (1997)3 एससीसी 523 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रावधानों को मान्य ठहराया है।

11. उक्त न्यायिक विनिश्चयों में पारित सिद्धांतों अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधान अनुसार केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी कर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान, अनुसूचित जनजाति के लिए लागू नहीं किए हैं। अतः अपीलांट्स का यह कथन कि उसका अपने पिता की पुश्तैनी भूमि में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत जन्म से ही अधिकार है, मानने योग्य नहीं है। पुरानी हिंदू विधि (Shastric Hindu Law) या रूढ़िजन्य विधि (Customery Law) के अंतर्गत या माननीय न्यायालय के उक्त नए विभिन्न

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विनिश्चयों के अंतर्गत अगर अपील अपीलांट्स का अपने पिता की भूमि में कोई हक या अधिकार होता है तो वह अपने हकों, अधिकारों, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से करवाने हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान अपील नामांतरकरण की कार्रवाई के दौरान संक्षिप्त एवं समरी कार्यवाही (फिस्कल प्रोसिडिंग) के दौरान पारित किया गया है, जिसमें अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जो सिर्फ नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है।

12. इसके अतिरिक्त अपीलांट्स ने यह अपील दिनांक 21.03.2024 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.1989 के पारित होने के लगभग 34 वर्ष बाद पेश की है–

i. उक्त लंबी अवधि के दौरान खसरा नंबर 315 की भूमि का विभाजन होकर खसरा नंबर 315, 315/1, 315/2 के रूप में कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित हो चुकी है तथा वर्तमान में नए ग्राम धन्ना भगत नगर की जमाबंदी में गै.मु. आवासीय भूमि दर्ज है।

ii. इसी प्रकार खसरा नंबर 314 की भूमि का भी आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण होकर ख.नं. 457/314, 458/314 जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 460/314 की भूमि गै.मु. सडक भूमि सरकार के नाम दर्ज है तथा ख. नं. 314 की शेष भूमि विभिन्न बट्टा नंबरों के रूप में गिरधारीलाल पुत्र रामलाल माहेश्वरी के नाम गै.मु. आवासीय भूमि दर्ज है, तथा गिरधारीलाल को अपील में पक्षकार भी नही बनाया है। इस प्रकार आक्षेपित नामांतरकरण से प्रभावित ख.नं. 314 व 315 की भूमि वर्तमान में कृषि भूमि भी नहीं रही है तथा संपरिवर्तन आदेश भी जारी हो चुके है, जिन्हे नामांतरकरण की अपील में अपास्त नहीं किया जा सकता।

13. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

14. परिणामतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा ग्राम बोरानाडा (वर्तमान ग्राम धना भगत नगर) के नामांतरकरण सं. 264 पर पारित आदेश दिनांक 14.06.1989 को यथावत रखते हुए पुष्टि की जाती है।

15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, झंवर को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर